

## The Gazette of India

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—चण्ड 3—उप-चण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रापिकार के प्रकाषित PUBLISHED BY AUTHORITY

**d**. 155] **No. 155**]

नई बिल्सी, बुधबार, मार्च 30, 1994/चैत्र 9, 1916

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1994/CHAITRA 9, 1916

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्लो, 30 मार्च, 1994

## प्रधिसूचना

का. था. 272(भ) --- केन्द्रीय सरकार, श्रविल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद श्रविनियम, 1987 (1987 का 52) की द्यारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शिक्षा परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है, श्रयांत :--

- (1) प्रोफेसरएस.के. खन्ना, मध्यक्ष डी-II/363, पंडारारोड, नई दिल्ली। (धारा 3की उपयारा (4) के खण्ड (क) द्वारा
- (2) सचिव (व्यय), सदस्य वित्त मंद्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। (धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (छ) द्वारा)
- (3) वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि, सदस्य नई दिल्ली। (धारा 3 की उपबारा (4) के खण्ड (हा) द्वारा)

(4) स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रतिनिधि नई दिल्ली। (धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (स) द्वारा)

सदस्य

सदस्य

मदस्य

- (5) मुलाहकार (विज्ञान भीर तकनीकी) खान मंत्रालय, नई दिल्ली। (धारा 3 की उभघारा (4) के खण्ड (झ) द्वारा)
- (6) योजना झायोग का प्रतिनिधि, नई दिल्लो। (बारा 3 की उनधारा (4) के खण्ड (झ) द्वारा)
- (7) प्रोफेसर पी.जे. कुरियन, ग्रदस्य संसद सदस्य (लोक समा), बो-77, णाहजहां रोड, नई दिल्लं। (घारा 3 की उपचारा (4) के खण्ड (ब) द्वारा)
- (8) श्री प्रमाकर बी कोरे, सदस्य संसद सदस्य (राज्य समा), 129, नार्यं एवेन्यू नई दिल्ली। (धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ब) द्वारा)

सदस्य

सदस्य

सदस्य

ग्रदस्य

सदर ,

भारती विद्यापीठ भवत,

एल . बी. शास्त्री रोट, पुणे-411030

(धाय 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ण) द्वारा)

	1	<b></b>	[PART II—SEC. 3(i
O VOLUME SAZET	TE OF INDIA: EX	TRAORDINARY	nztii
THE GAZET		(22) प्रोफेसर सी .एन .पार . राव,	
	सदस्य	(22) प्रोफसर सा.एन. भार. एक निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थ	रान, बगलार (=) (;; ) द्वारा )
(9) माय कत मीर सचिव,		निरेश्चक, भारतीय विज्ञान संस्थ (धारा 3 की उपग्रारा (4)	के खण्ड (क) (II) कर पा)
हरियाणी स <sup>्वतार</sup> ,	٠,		-racii
तकनीकी जिसा विचाग,		(23) प्रोफेसर वी .सी. कुलन्दे स्वा	मी.
चंडीगढ़।	,	(23) प्रोफेसर वी.सी. कुलाय (रा समापति, मारतीय तकनीकी	शिक्षा सीसायटा,
चंडीगढ़। (धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा		ं नई दिल्ली।	
The state of the s	सदत्य	(वास कही उपधारा (4)	) के खण्ड (ड) (ii) द्वारा)
(10) वित्त मायनत सह सचिव			ं सर्वा
/		(24) भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान	(,
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला। (धारा 3 की उपधारा (4) के खेंग्ड (ट) द्वार	ġ)	परिषद के प्रतिनिधि,	
(धारा 3 की उपधारा 14) रूप		वार्यय गर्मा	) के खण्ड (व) (iv) द्वारा)
and the state of t	चदस्य 🗝	(810 3 111 2	
(11) प्रायुक्त भीर सचिव,		े क्यहरी	सदस्य
जस्मू कश्मीर,	- ·	(25) हा. जे.एस. कादरी, समापति, मारतीय मेवजी	। परिषद, नई दिल्ली।
श्रीनगर। (धारा 3 की उपपारा (4) के खण्ड (ट) डा	ाय )	समापात, भारताय गर	(व) के खण्ड (ड) (5) द्वारा)
(बारा 3का उपनारा (क)		(ब्राया उका उनमार (	
(12) कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	<b>सदस्य</b>	्र के स्टब्स्ट मूल	सदस्य
(12) कर्नाटक सरकार का प्राप्तान (प्राप्त 3 को उपधारा (4) के स्वण्ड (ट) ह	त्ररा)	(26) श्री जे .घार . मल, समापति, स्यापत्यकला प	र्गरेषद,
(बार्य उसा उसा स्राप्त		समापात, स्थापाय 8-बी, शंकर मार्किट, कर	गट प्लेस,
क प्रतिनिधि	सदस्य	8-बी, संबंद नामिन्	
(13) केरल सरकार का प्रतिनिधि (धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट)	द्वारा)	नई दिल्ली। कर्ने क्यारा	(4) के खण्ड (ड) (vi) द्वारा)
(धारा 3का उपवास (क)	सदस्य	(धारा ३ का उपया र	
(14) निदेशक, तकनीकी शिक्षा,	4		<b>,</b> सदस
(14) मिस्स्य प्रदेश सरकार, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल।	<b>v</b>	(27) महा निदेशक,	रिषद.
मध्य प्रवेश संरकार, कारावार (धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट)	) हारा )	राष्ट्राय उत्पादनता ।	
	सदस्य	नई दिल्ली।	ा (4) के खण्ड (ड) (vii) द्वारा)
(15) दादरा ग्रीर नागर हवेली		(धारा ३का ६५००	
(15) दाया भीत का प्रतिनिधि संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधि	- \ <del></del>	T	स् <sup>द</sup> बाटी
संघ राज्य क्षत्र का प्रातानाय (घारा 3 की उपघारा (4) के खण्ड (ट	) BICI)	(28) प्रोफेसर एस.के. गृत	(10-1)
		प्रबन्ध निदेशक,	टस इंडिया लिमिटेड,
(16) दमण भीरदीव संघराज्य क्षेत्र का प्रति	नाव नो नाग ो	एजूकेशनल केन्स्रेट	
(16) दमण भीर दीव सब राज्य क्षेत्र भा निर्मा (धारा 3की उपधारा (4) के खण्ड (	c) will	नई दिल्ली।	ारा (4) के <b>ख</b> ण्ड (द) द्वारा)
	सदस्य	(ग्रारा ३का ७४०	(3) (-7
(17) श्री लित सूरी, प्रध्यक्ष,			<u>.</u>
क्रेस्ट होता है है गै,	•	(29) डा. टी. रामाम्	ব। কিন্তুৰ
हाटप हासार बारा <b>ध</b> म्बा एवेन्यू, कनाट ग्लेस,			
	. (म) हारा ।	सादल ३५गाण- भारतीय प्रोद्योगि	का सत्याण
नई दिल्ली। (धारा 3 की उपघारा (4) के खण्ड	(8) \$101)	भारताय प्राच्य होज खास, नई दि	ल्ला। (४) के खण्ड (६) द्वारा).
	सदस्य	(धारा ३ की उप	त्त्ति। धारा (4) के खण्ड (द) द्वारा) .
(18) श्री लितित सुरजन,		•	
कंपादक, देशबन्ध, राम सागर गर्म		(30) श्रीडी.डी. मा	वाल, च्यात
		स्टाक्ष, इजान	act action
रायपुर (मध्य प्रदश्त)। (बारा 3 की उपद्यारा (4) के स्वर्ण	3 (0) 2. " )	भोपाल (मध्य	प्रदर्भ । ।
	सदस्य	(बारा 3की उ	प्रदेश)। ज्ञाचारा (4) के खण्ड (द) द्वारा)
(19) श्री ही एल बी शर्मी,	<del>.</del>		
		(31) श्री पराष्ट्रल्ला	महेश्वरा,
	60082 1	<del>रूप्रतिक</del> महा	ורדום ו
(पश्चिम), जयानगर, बगरार उ (द्वारा 3की उपद्यारा (4) के ख	पड (ठ) भारा /	<i>شے</i> ،	<del>र कोरा</del> ल, <b>भ</b> 3'।
·	सदस्य	_	~ <del>************************************</del>
(20) श्री एम .बी . मुहगप्पत,	. 4414	मताराणा प्र	ताए नगर, भोपाल-462011
— जन्म जिल्लाका		(झारा ३की	ताण नगर, भाषासा विषय (द) द्वारा)
क्रमान्य मनिवसेल लिमिटड,	•		
कावारीजन पूर्वित्रकारी टी ग्राईएम हाउस, 28, राजाजी	। सलाइ,	(32) श्री पतंग राष	द कवम,
मद्रास-600001 ।		भारती विद्य	ापीठ मदन,

मद्रास-600001 ।

(ब्रास 3 की उपवास (4) के खण्ड (ठ) द्वारा)

(1) = muz (3) (i) द्वारा)

(21) केन्द्रीय जिक्षा संलाहकार बोर्ड का प्रतिनिधि

(20) प्रोफेसर पी. जे. कुरियन, संसद सदस्य (मोक सभा),

नई दिल्ली

एबी-- 77, साहजहां रोड,

[भाग II वण्ड 3(ii)]	त का राजपत : मसाधारण	3
(33) श्री प्रभाकर गोपाल भागवत, सदस्य भागवत फार्मा, कम्पु, चनाकोठार, सरकर, ग्वालियर ।	[बारा 3 को उपघारा (4) के खभ्द (स्) द्वारा]	
[बारा 3 की उपधारा (4) के खंड () द्वारा] (34) श्री वाई. एन. चतुर्वेदी, सदस्य-सचिव	(21) श्री प्रमान र बी कोरे संसद सदस्य (राज्य समा),	सदस्य
मपर सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, [धारा 3 की उपधारा (4) के खब्द (न) ढारः]	129, नायं एवेन्यू, नई दिल्ली, [बारा 3 की उपधारा (4) के खंद (आ) द्वारा]	
और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) की प्रधिसूचना सं. का. ग्रा. 479 (प्र), तारीख 12 मई, 1988 में निम्नलिखित रूप में संशोधन करती है:	(22) प्रायुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग, चण्डीगढ़ [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट)	सदस्य
उन्त मधिसूचना में,:	द्वारा]	
<ul><li>(i) प्रविष्टि (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी' जाएगी, ग्रथात्:</li></ul>	(23) वित्त भायुक्त-सह-सचिव (तकनीकी मिक्षा)	सदस्य
"(1) प्रोफ्तेसरएस.के.खन्ना, मध्यक्ष' डी-II 363, पंडारारोड, नईदिल्ली	हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला [झारा उकी उपद्यारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा ]	
[धारा 3 की उपधारा (≰) के खब्द (क) द्वारा]''	(24) भागुक्त और सचिव जम्मू-कश्भीर,	तदस्य
(ii) प्रविष्टि (14) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, मर्थात् :	श्रीनगर। [घारा 3 को उपवारा (4) के खण्ड (ट) ढारा]	
"(14) सचिव (ब्यय) सदस्य भारत सरकार,नईदिल्ली [झारा 3की उपझारा (4)के खण्ड (छ) डारा]"	(25) कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि [घारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) ढारा]	सदस्य
(iii) प्रविष्टि (16) से प्रविष्टि (38) के स्थान पर कमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, प्रयात्ः	(26) केरल सरकार का प्रतिनिधि [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट)	सदस्य
"(16) वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि सदस्य नई दिल्ली	द्वारा ]	
(घारा 3की उपधारा (4) के खण्ड (झ) द्वारा]	(27) निदेशक, संकनीकी शिक्षा, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल	सदस्य
(17) स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रतिनिधि सदस्य नई दिल्ली [धारा उंकी उपधारा (4) के खण्ड (झ)	[बारा उकी उपघारा (4) के खण्ड (ट) डारा]	
··    दारा 🕽 २	(28) दादरा और नागर हवेली	सदस्य
(18) सलाहकार (विज्ञान और तकनीकी) सदस्य खान मंत्रालय, नई दिल्ली	संघ राज्य क्षेत्र का प्रसिनिधि [घारा 3 को उपधारा (4) केखण्ड (ट) ढारा]	44(4
[घारा 3 की उपघारा (4) के खण्ड (झ) ढारा]	(29) दमण और दीव संघ राज्यक्षेत	सदस्य
(19) योजना मायोग का प्रतिनिधि सदस्य नई दिल्लो	का प्रतिनिधि [धारा ३ की उपधारा (४) के खण्ड (ट) ढारा]	
[घारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (झ) दारा]	(30) श्री ललित सूरी मध्यज्ञ,	सदस्य

सदस्य

नई दिल्ली

होटल होलीडे इन,

शिरा ३ की

बाराखम्मा एवेन्यू, कनाट प्लेस,

THE GAZETTE OF INDIA:	EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(ii) }-
THE GAZETTE OF INDIA.	(43) श्री ही. ही. मग्रवाल, मध्यक्ष, सदस्य
सदस्य	(43) श्रा हा. का. प्राचीत
(31) श्री सर्तित सूर्णन,	
संपादक, देशबन्धु, राम सागर पाड़ा,	मध्य प्रदेश [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (३)
रायपुर (मध्य प्रदेश)	
[ब्रास 3 की उपवास (4) के खंड (5) द्वारा]	इारा]
<b>मटस्य</b>	(44) श्री प्रफुल्ला महेश्वरी,
(32) श्री ही. एल. बी. शर्मा,	भवतिनिक महासचिव, फेडरेशन,
4notal 8 新田 VII 60140;	भवतानम गरासा मेम्बर भ्राफ कामसं,
(क्लिप) जगानगर बंगलीर-560082 ।	ग्राफ मध्य प्रवत्त काम्प्लेक्स, 3,इंदिरा प्रैस काम्प्लेक्स,
[ घारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ठ)	महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-460011
द्वारा]	महाराणा प्रताप नगर नगर के खण्ड (ड)
द्वारा] सदस्य	महाराणा प्रताप गाँउ । [घारा 3 की उपद्यारा (4) के खण्ड (ड)
(33) श्री एम. बी. मुश्गप्पन,	द्वारा]
प्रबन्ध निदेशक ,	सदस्य-
कार्योतहम् यनिवर्सल लिमिटेड ,	(45) श्री पतंग राव कदम, भारतीय
कोबारनंदम् गुणनस्ति । टी माईए एम हाउस, 28,राजाजी सालाई	विद्यापीठ भवन, एल. बा. शास्त्रा राज्
	पुणे (१) के स्वयद् (ण)
मद्रास-600001। [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ठ).	पुण [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ण)
	द्वारा }
<b>ा</b> रा]	
सदस्य	(46) श्री प्रभाकर गोपाल मागवत फार्मा,
(34) केन्द्रीय शिक्षा मलाहकार बोर्ड का प्रतिनिधि सदस्य	
(34) केन्द्रायोशिक्षा सलाहिनार पाने (धारा ,3 की उपधारा (4) के खण्ड (स)	चनाकोठार, लश्कर, ज्याराचार [धारा : 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ण)
(i) दारा]	च्या ।
HEST.	(v) प्रविष्टि (51) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रवे
(35) प्रोफेसर सी. एन. प्रार. राव.	(v) प्रविष्ट (51) के स्वाप कि
निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान,	
	जाएगा, जनस्य (51) श्री वाई. एत. चतुर्वेदी, मण्ट सचित्र, सदस्य-सचित्र (51) श्री वाई. एत. चतुर्वेदी, मण्ट सचित्र,
बंगलीर [धारा 3की उपधारा (4) के खण्ट (ड) (ii)	
द्वारा]	शिक्षा विभाग भाग । [धारा 3को उपधारा (4) के खण्ड (न)
मदस्य	
. १ <del>३३ में की</del> कलन्दस्वामी।	द्वारा] [सं. एफ. −8-53/93-टी दी-
(36) प्राफेसर वा. सा. पूरा सभापित, भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी	्स. एक. = विकास स्थापन
6 C	एस. हा. भागा
न इंदिल्ला। [धारा 3 की उपघाराय (4) के खण्ड (ह) (ii)	संयुक्त ग्रिक्षा सलाहकार ( तकनी <sup>ड</sup>
	DEVELOPME
द्वारा ]	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPME
सदस्	(Department of Education)
(37) भारतीय व प्रौद्योगिकी संस्थान,	•
परिषद् के प्रतिनिधि [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (इ) (१४)	NOTIFICATION
[धारा 3का उपधारा (4)	New Delhi, the 30th March, 1994
(4) दारा]	New Delai, and a conferred by
सदस्य	SO 272(E).—In exercise an I-dia Council for I
(38) हा. जे. एस. कादरी,	section (4) of section 5 of the Central G
(38) बा. ज. प्रास्तीय भेषजी परिषद् समापति, भारतीय भेषजी परिषद्	cal Education Act, 1707 to following as members of t
नई दिल्ली।	ment hereby appoints the following mamely:
नई दिल्ला। [द्यारा ३ की उपवास (४) के खंड (६) (४) द्वारा]	Tadia Council 101 Technique
क स्थान पर, क	मशः 1. Prof. S. K. Kharina,
(iv) प्रविष्टि (41) से प्रावीष्ट (40) निम्नलिखित प्रविष्टियां   रखी जाएंगी, ग्रयात् :—	D-II 363, Fandara Road,
निम्नलिखत प्रावाण्ट्या ।	New Delhi.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	sace (a) of sub-
"(41) प्रोफेसर एस.के. गुलाटी,	section (4) of section 3)]
- C	2. Secretary (Expenditure),
प्रबन्ध निदशकार्य एजुकेशनल कन्सल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, (८) के खण्ड (ढ)	Ministry of Finance,
एजुक्शनल केन्सर्टर्ट्स राज्या [द्यारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (इ)	Government of India,
द्वारा]	New Delhi.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lvide clause (g) of sub-

सदस्य

(42) डॉ. टी. रामामूर्ति,

सिविल रंजीनियरी विभाग,

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,

हो उ खास , नई दिल्ली-110016

Mε

[vide clause (g) of sub-

section (4) of section 3).

of Commerce, New Delhi. [vide clause (i) of sub-

3. Representative of Ministry

[vide clause (k) of sub-section

(4) of section 31

ें भारत का 'राजपत्न : बसोघारण

भाग II—'खण्ड 3(ii)]	भारत का	रराजपद्गः बसोधारण	5
4. Representative of Ministry of Health, New Delhi. [vide clause (i) of subsection (4) of section 3]	Member	16. Representative of Union Territory of Daman and Diu. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member
5. Adviser (S&T), Ministry of Mines, New Delhi. [vide clause (i) of sub- section (4) of section 3]  6. Representative of Planning	Member	17. Shri Lalit Suri, Chairman, Hotel Holiday Inn, Barakhamba Avenue, Conmaught Place, New Delhi. [vide clause (1) of sub-section (4) of section 3]	Member
Commission, New Delhi [vide clause (i) of sub- section (4) of section 3]	Member	18. Shri Lalit Surjan, Editor, Desabhandhu, Ram Sagar Para,	4, 1
<ol> <li>Proof. P. J. Kurien,</li> <li>Member Parliament (Lok Sobha),</li> <li>AB-77, Shahjahan Road,</li> <li>New Delhi.</li> </ol>	Member	Raipur (Madhya Pradesh), [vide clause (1) of sub-section (4) of section 3]	Member
[vide clause (i) of sub- section (4) of section 3]  8. Shri Prabhakar B. Kore,		439/C. VIIIth Cross, VII Block (West), Jayanugar, Bangalore-560082. [vide clause (1) of sub-section (4) of section 3]	Member
Member Parliament (Rajya Sabha). 129, North Avenue, New Delhi. [vide clause (i) of sub- section (4) of section 3]	Member	20. Shri M. V. Murugappan,  Managing Director,  Carborundum Universal Limited	
9. Commissioner & Secretary to the Government of Haryana, Technical Education Department, Chandigarh. [vide clause (k) of sub-section	Member	"TIAM HOUSE" 28, Rajaji Salai, Madras-600001, [vide clause (1) of sub-section (4) of section 3]	Member
(4) of section 3]  10. Financial Commissioner-cum- Secretary (Technical Education),		21. Representative of Central Advisory Board of Education. [vide clause (m) (i) of sub-section (4) of section 3]	Member
Government of Himachal Pradesh, Shimla. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member	<ul> <li>22. Prof. C. N. R. Rao,</li> <li>Director Indian Institute of</li> <li>Science, Bangalore.</li> <li>[vide clause (m) (ii) of sub-section</li> </ul>	Member
11. Commissioner & Sceretary, Government of Jammu & Kashmir, Srinagar, [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member	<ul><li>(4) of section 3]</li><li>23. Prof. V. C. Kulandaiswamy,</li><li>President, Indian Society for</li></ul>	Member
12. Representative of Government of Karnataka.	Member	Technical Education, New Delhi [vide clause (m) (iii) of sub-section (4) of section 3]	Memoer
[vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]  13. Representative of Government of		24. Representative of Council of Indian  Institute of Tecnology.  [vide clause (m) (iv) of sub-section	Member
Kerala. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member	<ul><li>(4) of section 3]</li><li>25. Dr. J. S. Qadry,</li><li>Pdesident, Pharmacy Council of</li></ul>	
14. Director, Technical Education, Government of Madhya Pradesh, Bhopal. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Memb∢r	India, New Delhi. [vide clause (m) (v) of sub-section (4) of section 3]  26. Shri J. R. Bhall,	Member
15. Representative of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.	Member	President, Council of Architecture,  8-B, Shankar Market,  Connaught Place, New Delhi.  [vide: clause (m) (vi) of sub-section	Member

[vide clause (m) (vi) of sub-section

(4) of section 3]

6	THE GAZETTE	OF INDIA		<del></del>
27	7. The Director General, National Productivity Council,		[vide clause (g) of sub-section (4) of section 3]"	-,
	New Delhi. [vide (m)(vii) of sub-section (4) of section 3]	Member	(iii) for entries (16) to (38), the following entries shall respectively be substituted, namely:—  "(16) Representative of Ministry of	
21	<ol> <li>Prof. S. K. Gulhau,         Managing Director,         Educational Consultants India Limited,         New Delhi.</li> </ol>	Member	Commerce, New Delhi.  vide clause (i) of sub-section (4) of section 3]	Member
[vide clause (n) of sub-section (4) of section 3]		(17) Representative of Ministry of Health, New Delhi.  Ivide clause (i) of sub-section  (4) of section 3]	Member	
	9. Dr. T. Ramamurthy, Department of Civil Engineering. Indian Institute of Technology, Hauz Khas, New Delhi. [vide clause (n) of sub-section	Member	(18) Adviser (S&T), Ministry of Mines, New Delhi. [vide clause (i) of sub-section (4) of section 3]	Member
3	(4) of section 3]  30. Shri D. D. Aggarwal, Chairman, Institute of Engineering, Bhopal (Madhya Pradesh).	Member	(19) Representative of Planning Commission, New Delhi. Ivide clause (i) of sub-section (4) of section 3]  (20) Prof. P. J. Kurien,	Member
:	[vide clause (n), of sub-section (4) of section 3] 31. Shri Prafulla Maheshwari, Hon. Secretary General,	1	Member (Lok Sabha), AB-77, Shabjahan Road, New Delhi. [vide clause (j) of sub-section (4) of section 3]	Member
	Federation of Industry, Bhopal, Nava Bharat Bhawan, 3, Indira Press Complex, Maharana Pratap Nagar, Bhopal-462011. [vide clause (n) of sub-section (4) of section 3]	Member	(21) Shri Prabhakar B. Kore, Member (Rajya Sabha), 129, North Avenue, New Delhi. Ivide clause (j) of sub-section (4) of section 3	Member
	32. Shri Patang Rao Kadam,  Bharati Vidyapeeth Bhawan,  L. B. Shastri Road, Pune-411030.  [vide clause (0) of sub-section  (4) of section 3]	Member	to the Govt. of Haryana, Technical Education Department, Chandigarh. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member
	33. Shri Prabhakar Gopal Bhagwat, Bhagwat Pharma, Kampoo, Chamkedar, Lashkar, Gwalior. [vide clause (o) of sub-section (4) of section 3]	Member	(23) Financial Commissioner-cum- Secretary (Technical Education), Government of Himachal Pradesh, Shimla. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member
	34. Shri Y. N. Chaturvedi, Additional Secretary, Department of Education, Ministry of Human Resource Development. [vide clause (t) of sub-section	Member- Secretary	(24) Commissioner & Secretary, Government of Jammu and Kashmir, Srinagar/Jammu. [vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]	Member
th of	(4) of section 3] and amends the notification of the Government be Ministry of Human Resource Development Education), No. S.O. 479(E) dated the 12th	(Department	25. Dr. J. S. Qadry, President, Pharmacy Council of India, New Delhi. (vide clause (m), v) of sub-section (4) of section (3).	Member
2	s follows:— In the said notification—		(26) Representative of Government of Kerala, [vide clause (k) of sub-section (4)	Member
	(i) for entry (1), the following entry shall be namely:—-  "(1) Prof. S. K. Khanna, D-II 363, Pandara Road, New Delhi. [vide clause (i) of sub-section (4) of section 31"	substituted,	of section 3]  (27) Director, Technical Education, Government of Madhya Pradesh, Bhopal. [vide clause (k) of sub-section (4)	Member

"(14) Secretary (Expenditure),
Government of India, New Delhi.

(ii) for entry (14) the following entry

shall be substituted, namely:-

section 3]"

Member

of section 3]

section 3]

(28) Representative of the Union

Territory of Dadra & Nagar Haveli. [vide clause (k) of sub-section (4) Member

7

:r

:1

.

10

(38) Dr. J. S. Qadry, President, Pharmacy (29) Representative of Union Member Territody of Daman & Diu. Council of India, New Delhi Member [vide clause (m)(iv) of sub-section (4) [vide clause (k) of sub-section (4) of section 31 of section 3] (iv) for entries (41) to (46), the following entries shall (30) Shri Lalit Suri Chairman, respectively be submitted, namely, Hotel Holiday Inn, Barakhamba "(41) Prof. S. K. Gulhati, Manager Avenue, Connaught Place, Director, Educational Consultants ţΓ Now Delhi Member Member India Limited [vide clause (k) of sub-section (4) lvide clause (m) of sub-section (4) of section 3] of section 3] (42) Dr. T. Ramamurthy, Department ir (31) Shri Lalit Surjan, Editor, Deshihandu, of Civil Engineering, Indian Ram Sagar Para, Raipur (Madhya Pradesh Member Institute of Technology, Hauz Khas, [vide clause (k) of sub-section (4) Member New Delhi-110016 of section 3] [vide clause (n) f sub-section (4) of section 3] (32) Shri D.L.V. Sharma, 439 C, VIIIth (43) Shri D. D. Aggarwal, Cross, VII Block (West), Jayanagar, Member Chairman, Institute of Engineering, Bangalore-560082 Member [vide clause (k) of sub-section (4) Bhopal (Madhya Pradesh) of section 3] [vide clause (n) f sub-section (4) of section 3] (33) Shri M.V.-Murugappan, Managing (44) Shri Prafulla Maheshwari, Hon. Director, Carborundum Univedsal Secretary General, Federation of Madhya Limited, "TIAM HOUSE", 28, Rajaji Pradesh Chambers of Commerce, 3, Indira Salai, Madias-600001. Member. Press Complex, Maharana Praiap [vide clause (k) of sub-section (4) Member Nagar, Bhopal-460011 of section [3] [vide clause (n) f sub-section (4) of section 3] (34) Representative of Central Advisory (45) Shri Patang Rao Kadam, Bharati Board of Education Member Vidyapeeth Bhawan, L.B. Shastri [vide clause (m) (i) of sub-section (4) Member Road, Pune of section 3] [vide clause (n) f sub-section (4) of section 3] (35) Prof. C.N.R. Rao, Director, Indian T (46) Shri Prabhakar Gopal Bhagwat Pharma, Institute of Science, Bangalore Member Member Chamkotar, Lashkar, Gwalior [vide clause (m)(ii) of sub-section (4) [vide clause (n) f sub-section (4) of section 3] of section 3] (v) for entry (51), the following entry shall (36) Prof. V. C. Kulandaiswamy, President, be substituted, namely :---Indian Society for Technical Education, (51) Shri Y. N. Chaturvedi, Additional New Delhi Member Secretary, Department of Education, [vide clause (m)(iii) of sub-section (4) Ministry of Human Resource Deveof section 31 Member Secretary [vide clause (n) f sub-section (4) (37) Representative of Council of Indian of section 3] Institute of Technology Member [No. F. 8-53|93-TD.I] [vide clause (m)(iv) of sub-section (4) of section 3] S. D. AWALE, Jt. Educational Adviser (Tech)